रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092025-266163
CG-DL-E-15092025-266163

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4045] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947
No. 4045] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2025

का.आ. 4160(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3690(अ), दिनांक 09 दिसंबर, 2016 द्वारा, केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 के खंड कि.मी. 11.8 से कि.मी. 138.635 तक के कार्य को, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद प्राधिकरण कहा जाएगा) को सौंपा गया है;

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसके पश्चात "नियम'' के रूप में उल्लेखित है),के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (नया एनएच-534) के नजीबाबाद बाईपास खंड डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 10.764 तक (मौजूदा कि.मी. 112.545 से कि.मी. 122.200) और नजीबाबाद-कोटद्वार (मौजूदा कि.मी. 122.200 से कि.मी. 137.760) खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर निवल सड़क खंड लंबाई 15.487 कि.मी [सारणी-2] तथा समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) 0.735 कि.मी (0.0735 कि.मी. लंबाई वाली, तालिका-4) के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर का 60% पर और चार या अधिक के लेन के समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) 3.6 कि.मी. (0.36 कि.मी. लंबाई वाली, तालिका-4) के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर तथा 10.404 कि.मी. (सारणी-3) लंबाई वाले बाईपास (दस करोड़ रुपये या अधिक लागत वाले) के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के

माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से रियायत अवधि की समाप्ति की तारीख से संविदाकार के साथ उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, निम्नानुसार:-

सारणी -1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी -2		
टोल प्लाजा का स्थान (चेनेज)	**लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर, जिस पर शुल्क संदेय है**
उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में, गांव बदिया के पास, नए एनएच-534 के डिजाइन कि.मी. 14+864 पर (पुराने एनएच-119 के मौजूदा चेनेज कि.मी 126+300 पर)	15.487 [(बाईपास की लंबाई (जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक) और (>60 मीटर) संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए देय होगा: -

तालिका -3						
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चैनेज)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (कि.मी. में)	**लागत (करोड़ रुपये में)**	
उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में, गांव बदिया के पास, नए एनएच-534 के डिजाइन कि.मी. 14+864 पर (पुराने एनएच-119 के मौजूदा चेनेज कि.मी. 126+300 पर)	नजीबाबाद बाईपास एनएच -119 (नया एनएच-534)	डिजाइन कि.मी. 0.000 से (मौजूदा कि.मी. 112.545)	डिजाइन कि.मी. 10.764 से (मौजूदा कि.मी 122.200)	10.404 [संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	233.59	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

तालिका -4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चैनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (कि.मी. में)**	**दर, जिस पर शुल्क संदेय है**
उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में, गांव बदिया के पास, नए एनएच-534 के डिजाइन कि.मी 14+864 पर (पुराने एनएच-119 के मौजूदा चेनेज कि.मी 126+300 पर)	0.360^	3.6	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	0.0735^^	0.735	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^विवरण निम्नानुसार हैं: -

क्रम सं.	**चैनेज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (कि.मी. में)**
	कि.मी. से	**कि.मी. तक**		
1	0.035	0.115	फ्लाई ओवर	0.080
2	6.562	6.667	बड़ा पुल	0.105
3	8.28	8.38	बड़ा पुल	0.100
4	9.608	9.683	फ्लाई ओवर	0.075
	कुल			**0.360**

^^विवरण निम्नानुसार हैं: -

क्रम सं.	**चैनेज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (कि.मी. में)**
	कि.मी. से	**कि.मी. तक**		
1.	134+873.25	134+946.75	बड़ा पुल	0.0735
कुल				**0.0735**

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350/- रुपए (तीन सौ पचास रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 678.41करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. परियोजना-17013(41)/1/2025-पीआईयू नजीबाबाद ई/252301]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2025

S.O. 4160(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3690(E) dated 09th December 2016 issued under section 11 of the National Highway Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km. 11.8 to km. 138.635, entire National Highway No.119 in the state of Uttar Pradesh to the National Highway Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), (the Central Government hereby levies the fee at the Sixty percent rate specified in column (2) of the table 1 for net road section length of 15.487 Km. (Table-2) and equivalent structure length (having length more than 60m) of 0.735Km. (Having length of 0.0735km., Table-4) for the use of two lane with paved shoulder and at rate specified in column (2) of the Table 1 for equivalent structure length (having length more than 60m) of 3.6 km. (having length of 0.36 km., Table-4) and at one and one-half times the base rate for bypasses having length of 10.404 km. costing rupees ten crore or more for use of four or more lane on the type of vehicles specified in column (1) of the table 1 below of Najibabad Bypass from design kilometer 0.000 to kilometer 10.764 (existing kilometer 112.545 to kilometer 122.200) & Najibabad-Kotdwar section (from km.122.200 to Km.137.760) of National Highway number 119 (New NH-534) in the state of Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of Vehicles	**Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table-2		
Location of Toll Plaza (chainage)	**Length (in km.) for which fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Design km. 14+864 of new NH-534 (at existing chainage Km. 126+300 of old NH-119) near village Badia, in District Bijnor, Uttar Pradesh.	15.487 [Excluding length of Bypass (costing>Rs.10 Crores) and length of Structure (>60m)]	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:-

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	**Name of Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	**Cost (in Rs. Crore)**	
At Design km. 14+864 of new NH-534 (at existing chainage Km. 126+300 of old NH-119) near village Badia, in District Bijnor, Uttar Pradesh.	Najibabad Bypass NH-119 (new NH-534)	Design km. 0.000 to (existing km. 112.545)	Design km. 10.764 (existing km. 122.200)	10.404 (Excluding length of Structures>60m length)	233.59	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10: -

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures^ (in km.) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km.)**	**Rate at which fee is payable**
At Design km 14+864 of new NH-534 (at existing chainage Km. 126+300 of old NH-119) near village Badia, in District Bijnor, Uttar Pradesh.	0.360^	3.6	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design km 14+864 of new NH-534 (at existing chainage Km. 126+300 of old NH-119) near village Badia, in District Bijnor, Uttar Pradesh.	0.0735^^	0.735	60% for two lane with paved shoulder, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

Sl. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km.)
	From km.	To km.		
1.	0.035	0.115	Flyover	0.080
2.	6.562	6.667	Major Bridge	0.105
3	8.28	8.38	Major Bridge	0.100
4	9.608	9.683	Flyover	0.075
Total				**0.360**

^^The details are as under: -

Sl. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km.)
	From km.	To km.		
1.	134+873.25	134+946.75	Major Bridge	0.0735
Total				**0.0735**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 350.00 (Rupees Three Hundred and Fifty Only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	**Maximum number of one-way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway

of the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicles.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 678.41 crores. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized.

[F. No. PROJ-17013(41)/1/2025-PIU Najibabad E/252301]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.15 21:30:09 +05'30'